न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व नामान्तरकरण अपील संख्या 17/2025

अपीलार्थी :– सुआदेवी पत्नी चेनाराम, जाति पटेल, निवासी हरी ओम भवन, गोलिया एरिया, झंवर, तहसील झंवर जिला जोधपुर।

ब ना म

प्रत्यर्थी :– राजस्थान राज्य जरिये सरपंच ग्राम पंचायत झंवर तहसील झंवर जिला जोधपुर।

उपस्थित :–

अपीलार्थी की ओर से – अधिवक्ता श्री भंवरलाल पटेल
प्रत्यर्थी की ओर से – राजकीय पैरोकार

दिनांक 08-10-25

– : आदेश : –

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इन तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत की गई कि ग्राम डेलूम्बा, तहसील झंवर जिला जोधपुर मे कृषि भूमि खसरा नं. 1687 रकबा 3.9740 हैक्टेयर आयी हुई है जिसमे रेकर्डेड खातेदार जीयाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी बोरानाडा का 1/6 हिस्सा निहित था जिससे अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त सम्पूर्ण 1/6 हिस्से की अर्थात 0.6624 हैक्टेयर भूमि को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के दिनांक 28.04.2025 को विधिवत रूप से सम्पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर खरीद किया गया एवं बरवक्त खरीद खातेदार जीयाराम द्वारा अपने हिस्से की भूमि का भौतिक एवं विधिक कब्जा अपीलार्थी को सुपुर्द कर दिया गया। जिसके बाबत् अपीलार्थी द्वारा अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु प्रत्यर्थी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस आवेदन पर पटवारी झंवर द्वारा दिनांक 12.05.2025 को रिपोर्ट करते हुए पंजीकृत विक्रय विलेख के अनुसार नामान्तरकरण सं. 441 दर्ज कर वास्ते जांच एवं आदेशार्थ प्रत्यर्थी को प्रेषित किया गया। जिस पर प्रत्यर्थी सरपंच ग्राम पंचायत झंवर द्वारा आपसी रंजिशवश एवं राजनीतिवश दिनांक 15.05.2025 को बिना किसी कारण एवं बिना किसी आदेश के उक्त नामान्तरकरण सं. 441 को अस्वीकृत कर दिया गया। जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई एवं निवेदन किया गया कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करते हुए प्रत्यर्थी को यह निर्देशित किया जावे कि वह अपीलार्थी के हक मे विधिवत रूप से निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर अपीलार्थी के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत करे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किये गये जो कि नियमानुसार तामिल बाद शामिल पत्रावली किया गया। प्रत्यर्थी सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा हस्तगत अपील में जवाब पेश नहीं किया गया। राजकीय पैरोकार द्वारा

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

अपनी बहस मे कहा गया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सही रूप से पारित किया गया है जिसमे कोई विधिक त्रुटि नही है।

हमने उभय पक्षकारान् की बहस की। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम डेलूम्बा, तहसील झंवर जिला जोधपुर मे कृषि भूमि खसरा नं. 1687 रकबा 3.9740 हैक्टेयर भूमि मे से सहखातेदार जींयाराम से उसके1/6 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के दिनांक 28.04.2025 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया गया। जिसके आधार पर पटवारी द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 441 दर्ज करते हुए पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर अपीलार्थी के हक मे नामान्तरकरण दर्ज करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसे प्रत्यर्थी द्वारा बिना किसी कारण का उल्लेख किये दिनांक 15.05.2025 को अस्वीकृत कर दिया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा विधिवत रूप से वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार से पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर वादग्रस्त भूमि मे उसका हिस्सा क्रय किया गया है जिस विक्रय विलेख के निष्पादन मे किसी भी प्रकार की कोई विधिक बाध्यता अथवा अनियमितता नही है। ऐसी स्थिति मे पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा भूमि को क्रय किये जाने पर उसके नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जाना एक विधिक प्रकिया है किन्तु प्रत्यर्थी द्वारा बिना कोई कारण उल्लेखित किये ही अपीलार्थी के हक मे नामान्तरकरण को अस्वीकृत कर दिया गया है जो कि स्पष्ट रूप से एक विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार झंवर को निर्देश दिया जाता है कि ग्राम डेलूम्बा, तहसील झंवर जिला जोधपुर मे कृषि भूमि खसरा नं. 1687 रकबा 3.9740 हैक्टेयर मे पूर्व खातेदार जींयाराम पुत्र मंगलाराम के 1/6 सम्पूर्ण हिस्से के संबंध मे अपीलार्थी के पक्ष मे निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर जीयांराम के स्थान पर अपीलार्थी के नाम से नामान्तकरण दर्ज किया जावे।

(हंसमुख कुमार RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी